

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
712	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्र.6238) दि. 23-03-2017 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सागर जिले की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में बुन्देलखण्ड परियोजना के तहत मण्डी/उपमण्डियों के घटिया निर्माण के संबंध में तत्का.कार्यपालन यंत्री फूलचंद तोमर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	(1) इसकी जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक कर रहे हैं। (2) मैं अभी अपने विभाग से आज ही इसको प्रतिनियुक्ति से वापस लेने के निर्देश जारी करता हूं, इसके बावजूद इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसको निलंबित किया जाता है।		
713	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्र.5063) दि. 23-03-2017 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी एवं सिंगरौली जिलों में किसानों को अनुदान पर कीटनाशक दवाइयों के वितरण में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जी हां कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
714	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्र.7110) दि. 23-03-2017 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	धार जिले में खरीफ व रबी के लिए वर्ष 2016-17 का किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाना।	तहसीलवार बीमांकन के संकलन का कार्य प्रक्रियाधीन है।		
715	अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्र.1544) दि. 23-03-2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाना।	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मियों को रिक्त पदों के विरुद्ध विनियमित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
716	अतारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्र.6979) दि. 23-03-2017 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले में किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाना।	पंजीकृत किसानों को उपकरण प्रदाय करने की कार्यवाही प्रचलित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
717	<p>अतारांकित प्रश्न सं.155 (प्रश्न क्र.7114) दि. 23-03-2017 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)</p>	<p>इंदौर एवं खरगोन मंडी में बकाया निराश्रित शुल्क की वसूली संबंधित फर्मों से समय सीमा में नहीं करने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।</p>	<p>(1) मण्डी अधिनियम 1972 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली हेतु सूचना-पत्र जारी किए गए हैं।</p> <p>(2) शेष निराश्रित शुल्क की वसूली करने की कार्यवाही प्रचलन में है।</p> <p>(3) संबंधित व्यापारियों को सूचना-पत्र जारी किए गए हैं। मंडी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की दोषिता का निर्धारण हेतु आंचलिक कार्यालय इंदौर को निर्देशित किया गया है।</p>		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
718	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.777) दि. 23-03-2017 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक)	छतरपुर जिले के मातगुंआ थाना प्रभारी द्वारा फरियादियों के प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जाने एवं पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	सभी बिन्दुओं की जांच करने के लिए वहां पर जो एसडीओपी पदस्थ है वह सभी बिन्दुओं की जांच कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर और कोई आगे कार्यवाही करना होगी, वह कार्यवाही विभाग सुनिश्चित करेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
719	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.2076) दि. 23-03-2017 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	(1) सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत बकिया, कोडार एवं वरचर बांध की मुख्य नहरों को सीमेन्टेड किया जाना। (2) मोहराडोल बांध का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	(1) इन तीनों तालाब के हम घटते क्रम में पक्कीकरण का प्रस्ताव भी भेज देंगे। (2) उसको जल्दी शॉर्टआउट कर देंगे।		
720	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.5160) दि. 23-03-2017 (श्री रणजीतसिंह गुणवान)	सीहोर जिले की आष्टा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बजट में शामिल झीकड़ी मनीपुरा तालाब के बजट में शामिल हो जाने से शीघ्र परीक्षण कराके कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु टेंडर जारी किया जाना।	(1) एक माह में हम तत्काल परीक्षण करा लेंगे। (2) उसका भी परीक्षण करा लेंगे।		
721	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.5209) दि. 23-03-2017 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	टीकमगढ़ जिले में सुजारा बांध परियोजना से विस्थापित पुनर्वास कॉलोनी के रहवासियों सहित जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रवासियों को सिंचाई विभाग द्वारा 29एम.सी.एम. पीने का पानी शीघ्र उपलब्ध कराया जाना।	(1) पी.एच.ई. विभाग से बात करके आगे कार्यवाही करेंगे। (2) दोनों से बात कर लेंगे।		
722	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.3537) दि. 23-03-2017 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले की तहसील डीमरखेड़ा के ग्राम घुघरी की नदी से हुए कटाव को रोकने हेतु कार्यवाही की जाना।	तकनीकी प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		
723	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.5944) दि. 23-03-2017 (श्री केदारनाथ शुक्ल)	शहडोल जिले की तहसील ब्यौहारी के ग्राम बिजहा में दुधारिया नदी पर सिंचाई परियोजना में कृषकों की अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र दिया जाना।	कृषकों की 70.181 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
724	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1618) दि. 23-03-2017 (कुँवर हजारीलाल दांगी)	राजगढ़ जिले के खिलचीपुर व्हाया सेमलीकलां से रामगढ़ मार्ग पर ग्राम बटेडिया में छापी नदी पर ग्राम लिम्बोदा से कुंडालिया मार्ग पर तथा ग्राम काशीखेडा में छापी नदी पर पुल निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना ।	काम भी शीघ्रता के साथ शुरू करेंगे ।		
725	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.6914) दि. 23-03-2017 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	प्रश्नकर्ता मा.सदस्य की विधायक निधि से कटनी विधान सभा क्षेत्र में कराए गये कार्य में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही ।	हम जांच करा लेंगे ।		
726	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.6282) दि. 23-03-2017 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर-भोपाल एन.एच.-12 मार्ग के अंतर्गत मनखेड़ी से बेलखेडा जीर्ण-शीर्ण मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराई जाना ।	हम अपने स्तर पर उस मार्ग को एक सप्ताह के अन्दर दुरुस्त करवा देंगे, ठीक करा देंगे ।		
727	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.7073) दि. 23-03-2017 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले में घूघस-सिधौरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने तथा जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2016 में डेम की स्वीकृत राशि के अलावा स्वीकृति राशि के तहत पुल की ऊंचाई बढ़ाया जाना ।	जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा ।		
728	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.6382) दि. 23-03-2017 (पं. रमाकान्त तिवारी)	रीवा जिले के विश्राम गृह त्योंथर एवं चाकघाट में ट्यूबवेल उत्खनन एवं सबमर्सिबल पंप समय-सीमा में लगाया जाना ।	एजेन्सी नियत किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है । कार्य मई 2017 तक कराने का लक्ष्य है ।		
729	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.5322) दि. 23-03-2017 (श्री लखन पटेल)	दमोह जिले के पथरिया किन्द्रहो जेरठ मार्ग निर्माण में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही ।	विस्तृत जांच के निर्देश जारी किये गए हैं ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
730	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.5472) दि. 23-03-2017 (डॉ. कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में समस्त विभागों के विभागीय कार्यालय एक ही जगह लगाये जाने हेतु स्वामी विवेकानन्द परिसर निर्माण की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाना।	स्वीकृति अपेक्षित।		
731	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.5824) दि. 23-03-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के दबोह-जगदीशपुरा-संसीगढ़-आलमपुर 12 कि.मी. स्वीकृत मार्ग को शीघ्र बनाया जाना।	संभाग कार्यालय से वांछित जानकारी परिक्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षाधीन है।		
732	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्रं.6965) दि. 23-03-2017 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक - ए 2424 के तहत बनाई 10 सड़कों के लिए कृषकों की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा शीघ्र दी जाना।	जी हों।		
733	अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.3744) दि. 23-03-2017 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	बड़वानी जिले के नगर अंजड से ठीकरी मार्ग का नवीन निर्माण/उन्नयन किया जाना।	नवीन मार्ग निर्माण/उन्नयन के प्रस्ताव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
734	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.5923) दि. 23-03-2017 (श्री हरदीप सिंह डंग)	नीमच जिले के सीतामऊ में शीघ्र एडीजे कोर्ट प्रारंभ किया जाना ।	(1) जल्दी ही निराकरण करायेंगे । (2) हम माननीय न्यायालय को भी आग्रह पत्र लिखेंगे और शीघ्र इसके निराकरण का प्रयास करेंगे ।		
735	अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.5376) दि. 23-03-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	हनुमना, जिला रीवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की पदस्थापना शीघ्र की जाना ।	तहसील हनुमना में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की पदस्थापना की प्रक्रिया चल रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 23-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
736	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.5374) दि. 23-03-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले की मऊगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां क्रमशः पटेहरा, पहाड़ी, खटकरी एवं हटवा को धनराशि उपलब्ध कराया जाना।	जिन समितियों के बारे में बताया है उसको दिखवाकर उसको वरीयता क्रम में लेकर जो समस्याएं हैं उनका निदान करवा देंगे।		
737	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.5860) दि. 23-03-2017 (श्री संजय उइके)	बालाघाट जिले में आई.सी.डी.पी. योजना अंतर्गत समस्त औपचारिकता शीघ्र पूर्ण कर शेष 11गोदामों का निर्माण किया जाना।	11 गोदाम भी हम बना देंगे।		
738	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.39) दि. 23-03-2017 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन में पदस्थ पूर्व महाप्रबंधक द्वारा अपने कार्यकाल में आर्थिक अनियमितता की जांच के चलते सेवानिवृत्त के पूर्व स्वत्वों आदि का भुगतान स्वयं प्राप्त कर लेने के संबंध में आदेशित जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	भुगतान पूर्व महाप्रबंधक द्वारा स्वयं प्राप्त कर लेने के संबंध में जांच आदेशित की गई है, शेष जांच निष्कर्षाधीन।		
739	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.3058) दि. 23-03-2017 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	प्रश्न क्रमांक 33 उत्तर दिनांक 5.12.16 के संदर्भ में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के हितग्राहियों के साथ प्लाट आवंटन में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शेष 29 शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	29 प्रकरण निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन है।		
740	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.6069) दि. 23-03-2017 (श्री रामसिंह यादव)	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवपुरी के वर्ष 2014-15 के ऑडिट में आयी गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
741	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.140 (प्रश्न क्रं.7125) दि. 23-03-2017 (श्री रामनिवास रावत)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा शाखा जवा के शाखा प्रबंधक द्वारा 50 लाख रुपये के किये घोटाले की जांच एवं घोटाले की राशि वसूल की जाना।	(1) श्री महेन्द्र मिश्रा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। (2) राशि वसूली की कार्यवाही बैंक स्तर से प्रक्रियाधीन है।		
742	अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.3653) दि. 23-03-2017 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल संभाग के संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर शहडोल तथा पुलिस अधीक्षक शहडोल को दिनांक 31.5.2016 को श्रीमती रमा सोनी एवं अन्य द्वारा बी.पी.एन. सनसाइन इन्फ्रोविल्डा एवं सनसाइन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड कंपनी के संचालकों द्वारा ब्रांच आफिस खोलकर धोखाधड़ी किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) जी हों। (2) शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा थाना प्रभारी गोहपारू से जांच कराई जा रही है।		
743	अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्रं.3774) दि. 23-03-2017 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना के अंतर्गत जिले की सहकारी समितियों एवं बैंक में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों हेतु संवर्ग नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
744	अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.5914) दि. 23-03-2017 (श्री निशंक कुमार जैन)	विपणन सहकारी समिति मर्यादित विदिशा में नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति के लिए दोषी नियोक्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अवैध नियुक्तियां शीघ्र निरस्त की जाना।	जी हों, दोषी नियोक्ता अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा कर्मचारियों को सेवा से पृथक कराने हेतु उप आयुक्त सहकारिता जिला-विदिशा को निर्देशित किया गया है।		
745	अतारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.6110) दि. 23-03-2017 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले की सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी साख संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	समिति प्रबंधक की पद पूर्ति हेतु संवर्ग नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
746	अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.6599) दि. 23-03-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना में नियम विरुद्ध संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का प्रस्ताव बैंक की स्टॉफ उप समिति द्वारा पारित किये जाने की जांच में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा नियुक्तियां निरस्त करने हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग रीवा को निर्देश दिये गये हैं। (2) जी हों।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
747	अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्र.7004) दि. 23-03-2017 (श्री योगेन्द्र सिंह)	(1) शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल एवं विकास कुंज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा ग्राम-बंजारी एवं बावडिया कला स्थित भूमि हेतु कालोनी विकास व्यय की राशि के उपयोग की जांच एवं कार्यवाही । (2) उक्त संस्था अपनी पंजीकृत पते पर संचालित नहीं किये जाने आदि किये गये अनियमितता विधि सम्मत कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच के निर्देश दिये गये है । (2) संस्थाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 32 (5) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी ।		
748	अतारांकित प्रश्न सं.138 (प्रश्न क्र.7005) दि. 23-03-2017 (श्री योगेन्द्र सिंह)	शादाब गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाना एवं पात्र हितग्राहियों के हितों का संरक्षण किया जाना ।	(1) जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के दोषी पदाधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 28.06.2013 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला भोपाल को एवं दिनांक 18.09.2013 को थाना प्रभारी थाना शाहपुरा को लिखा गया । (2) पीडित हितग्राही सदस्यों के हित संरक्षण के लिये उपायुक्त भोपाल को परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।		
749	मांग संख्या (क्रमांक 17) दि. 23-03-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	प्रदेश के सभी सहकारी बैंको में एटीएम की व्यवस्था शुरू की जाना ।	मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूँ हम 2017 में सभी बैंकों में एटीएम की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं ।		